न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मुकेश चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या :— 01/2018

क्र. सं.	अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1.	दामोदरलाल पुत्र मोहनलाल उपाध्याय जाति ब्राहमण निवासी ब्राहमणो का बास गोपालद्वारा रोड़ जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली (राज0)।	1.	ग्राम पंचायत मेव पंचायत समिति सोजत जिला पाली (राज0)।
		2.	सरपंच ग्राम पंचायत मेव पंचायत समिति सोजत जिला पाली (राज0)।

राजस्व म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75(1) (डी) राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम म्यूटेशन सं0 386 दिनांक 19.02.2013 ग्रम पंचायत मेव द्वारा अस्वीकृत के विरूद्व

उपस्थितिः—

श्री गजेन्द्र दवे व श्री भगवती प्रसाद चौहान अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक—12.03.2018

अधिवक्ता मय अपीलान्ट ने यह राजस्व अपील दिनॉक 08.01.2018 को न्यायालय होजा में विरूद्व रेस्पोडेन्टान अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत मय धारा 5 म्याद अधिवक्ता प्रा0पत्र मय शपथ—पत्र इस आशय की पेश कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम बूटेलाव पटवार हल्का मेव में खसरा संख्या 256, 287, 597, 598, 603, 605, 608, 610, 611व 612 कुल किता खसरा 10 कुल रकबा 21.03 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में खातेदार थानसिंह पुत्र रणजीतसिंह का 1/2 हिस्सा हक, हकूक, खातेदारी कब्जा काश्त का आता था जो 1/2 हिस्सा अपीलांट ने जरिये रजिस्टर्ड बेचान रजिस्ट्री दिनांक 29.01.2013 को खरीद कर बेचान रजिस्ट्री तहसील कार्यालय सोजत मे पंजीयन करवाई तथा अपीलांट के प्रिसिंपल विक्रेता थानसिंह द्वारा उसी दिन मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया तथा उक्त कब्जा सुपुर्द करने के तथ्य बेचान रजिस्ट्री में वर्णित है। तब से लेकर आज दिन तक मौके पर वादग्रस्त कृषि भूमि के 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट ने माफिक बेचान रजिस्ट्री अनुसार राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार नाम दर्ज कराने हेतु बेचान रजिस्ट्री सम्बन्धित पटवार हल्का मेव को दी। जिस पर पटवारी हल्का माफिक बेचान रजिस्ट्री अनुसार नामान्तरकरण संख्या 386 दर्ज कर स्वीकृति हेतु रेस्पोडेन्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्व तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाते हुये गलत तरीके से नोट अंकित कर अपीलांट के नाम दर्ज नामान्तरकरण को खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की है। ग्राम पंचायत मेव द्वारा बिना दस्तावेजों की जांच किये तथा दस्तावेज के विपरीत उक्त नामान्तरकरण निरस्त करने मे कानूनी व वाक्याती भूल की है। अपीलांट द्वारा रेकर्डेड खातेदार थानसिंह पुत्र रणजीतसिंह से जरिये बेचान रजिस्ट्री

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

दिनांक 29.01.2013 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तथा बेचान रजिस्ट्री में कब्जा सुपुर्द किये जाने के तथ्य स्पष्ट रूप से वर्णित किये गये। यदि रजिस्टर्ड दस्तावेज के जरिये कब्जा सुपुर्द किये जाने के तथ्य वर्णित कर दिये जाते है, तो कानूनन कब्जा खरीददार का ही माना जायेगा। इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा कब्जा नही होने के तथ्य वर्णित कर उक्त म्यूटेशन निरस्त करने मे कानूनी त्रुटि की है। पटवारी हल्का मेव द्वारा माफिक बेचान रजिस्ट्री अनुसार थानसिंह पुत्र रणजीतसिंह के स्थान पर अपीलांट का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया तथा पटवारी हल्का द्वारा उक्त म्यूटेशन दर्ज करते समय ऐसी किसी प्रकार की कोई टिप्पणी अंकित नही की गई कि अपीलनान्ट का उपरोक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त नही है। इसलिये ग्राम पंचायत को उक्त टिप्पणी अंकित करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा म्यूटेशन संख्या 386 को निरस्त करने मे कानूनी भूल की है। उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के बेचान हस्तान्तरण व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के किसी भी न्यायालय द्वारा आदेश पारित नही किये गये है और न ही किसी भी न्यायालय द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश पारित किया गया है। इसलिए माफिक बेचान रजिस्ट्री अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने तथा स्वीकृत करने में किसी प्रकार की कोई विधिक बाध्यता नही है। इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा म्यूटेशन अस्वीकृत करने में कानूनी भूल की है। ग्राम पंचायत द्वारा म्यूटेशन निरस्त करने के सम्बन्ध में बिना प्रस्ताव लिए तथा प्रस्ताव रजिस्टर मे किसी प्रकार का अंकन किये बिना तथा प्रार्थी/ अपीलांट को बिना सुनवाई का अधिकार दिये प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत उक्त नामान्तरकरण अस्वीकृत करने में कानूनी त्रुटि की है। ग्राम पंचायत मेव व सरपंच को राजस्व रेकर्ड व मौके की स्थिति के बारे में राजस्व अधिकारियों द्वारा ही अवगत करवाया जाता है। लेकिन राजस्व अधिकारियों द्वारा ऐसी किसी प्रकार की टिप्पणी अंकित नही की है। मात्र रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट को नुकसान पहुचाने, हैरान व परेशान करने के आशय से जानबूझकर राजनैतिक दबाब/प्रभाव से उक्त टिप्पणी अंकित कर नामान्तरकरण अस्वीकृत किया है, जिससे आदेश 19.02.2013 निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा राजस्व रेकर्ड व वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपी दिनांक 29.12.2017 व 01.01.2018 को प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी मे आया कि वर्तमान जमाबंदी में आज भी प्रिसिंपल विक्रेता थानसिंह पुत्र रणजीतसिंह का नाम बतौर खातेदार दर्ज है तथा अपीलांट का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही है। तब अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर पटवारी हल्का द्वारा जानकारी दी कि आपकी माफिक बेचान रजिस्ट्री अनुसार दर्ज किया गया म्यूटेशन रेस्पोडेन्ट द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है। तब अपीलांट द्वारा उसी दिन 29.12.2017 को नामान्तरकरण संख्या 386 दिनांक 19.02.2013 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी मे आया कि ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्व तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाते हुये वक्त नामान्तरकरण अस्वीकृत किया गया है। इससे पूर्व अपीलांट को इस बाबत किसी प्रकार की कोई जानकारी नही थी। कानून की मंशा के अनुसार यदि अपीलान्ट के हक व अधिकार के विरूद्व यदि किसी प्रकार का आदेश प्रार्थी को बिना सुने आदेश पारित किया जाता है एवं जो दस्तावेज अपीलांट के हक व अधिकारों के विरूद्व बेअसर व शून्य है वहां म्याद का

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

किसी प्रकार का कोई प्रभाव नही पड़ता है, विकल्पेन अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र अलग से पेश किया है। वादग्रस्त म्यूटेशन संख्या 386 ग्राम पंचायत मेव द्वारा अस्वीकृत किये जाने से तथा वादग्रस्त कृषि भूमि बूँटेलाव में स्थित होने से यह अपील न्यायालय हाजा के अधिकारिता क्षेत्र की होने से अपील पेश की है। इस प्रकार राजस्व अपील मय शपथ–पत्र, धारा 5 म्याद अधि0 मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने तथा सरपंच ग्राम पंचायत मेव द्वारा अस्वीकृत ना0सं0 386 में पारित आदेश दिनांक 19.02.2013 को अपास्त किया जाकर माफिक बेचान रजिस्ट्री पंजीबद्ध दस्तावेज अनुसार अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण पारित किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टान को जरिए सम्मनस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टान संख्या 1 व 2 को बावजूद तामिली/सूचना बार–बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से दिनॉक 29.01.2018 को इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस राजस्व अपील सुनी गई। बहस अपील के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने व्यक्त किया कि मौजा–बूटेलाव पटवार हल्का–मेव में स्थित ख0नं0 256, 287, 597, 598, 603, 605, 608, 610, 611 व 612 कुल किता खसरा 10 रकबा 21=03 हैक्टर कृषि भूमि में से खातेदार थानसिंह पुत्र रणजीतसिंह का 1/2 हिस्सा हक हकूक खातेदारी व कब्जा काश्त का अपीलान्ट ने जरिए पंजीबद्ध दस्तावेजात दिनॉक 29.01.2013 को खरीद किया। विकेता थानसिंह द्वारा उसी दिन मौके पर कब्जा सुपुर्द करने के तथ्य भी उक्त पंजीबद्ध बेचान रजिस्ट्री में वर्णित है, तब से आज तक मौके पर कब्जा काश्त आज तक अपीलान्ट का ही चला आ रहा है। किन्तु माफिक पंजीबद्ध दस्तावेजात ना0सं0 386 दर्ज स्वीकृति हेतु पटवारी हल्का–मेव द्वारा कब्जे अथवा विवाद से सम्बद्ध कोई टिप्पणी अंकित नही करने पर भी नामान्तरकरण प्रस्तुत करने पर सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध अपने अधिकारिता से परे जाकर गलत तरीके से न्यायालय में वादग्रस्त व कब्जा नहीं जाये जाने का मनगठन्त नोट अंकित कर अपीलान्ट के नाम दर्ज नामान्तरकरण को खारिज कर दिया। चूँकि पंजीबद्ध दस्तावेजात में कब्जा सुपुर्द किये जाने के तथ्य वर्णित है तथापि अपीलान्ट को बिना सुने सरपंच ग्राम पंचायत–मेव द्वारा उक्त आदेश दिनॉक 19.02.2013 को गलत व विधि विरूद्ध पारित किया गया है, जिसे अपास्त किये जाने तथा माफिक पंजीबद्ध दस्तावेजात अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण पारित किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत राजस्व अपील में वर्णित तथ्यों, धारा 5 म्याद (परिसीमा) अधिनियम का प्रा0पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात ना0सं0 386 दि0 19.02.2013 अस्वीकृत दिनॉक 19.02.2013, जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 पंजीबद्ध बेचान दस्तावेजात सं0 2013000508 दि0 19.02.2013 तथा अन्य राजस्व रेकर्ड जमाबन्दियॉ तथा अधिवक्ता मय अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम मय शपथ–पत्र का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता अपीलान्ट पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः पंजीबद्ध विक्रय विलेख दस्तावेजात दिनॉक 29.01.2013 अनुसार प्रिंसिपल विकेता

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

थानसिंह द्वारा अपीलान्ट दामोदरलाल को भूमि विक्रय के निष्पादेन के समय ही मौके पर अपनी खातेदारी हक हकूकों की 1/2 हिस्से की भूमि का बेचान किये जाने तथा कब्जा दिये जाने के तथ्य वर्णित है तथा उक्त तथ्य सत्य एवं बखूबी प्रमाणित है। चूँकि ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही, ग्रा0पं0 बैठक प्रस्ताव तथा कब्जे से सम्बद्ध नामान्तरकरण के संलग्न कोई दस्तावेजी सबूतो के अभाव में उक्त ना0सं0 386 अस्वीकार किया, जिससे बिना अपीलान्ट को सुने तथा विधिक अधिकारों के विपरित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा पारित आदेश अपास्त योग्य है। धारा 5 म्याद के प्रा0पत्र मय शपथ–पत्र में वर्णित युक्तियुक्त कारणो के दृष्टिगत नामान्तरकरण दिनांक 19.02.2013 को आज तक की अवधि को कण्डोन किये जाने का प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है तथा उक्त अवधि कण्डोन कर अन्दर म्याद शुमार किया गया। लिहाजा अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना, ना0सं0 386 पर प्रदत आदेश दिनॉक 19.02.2013 को अपास्त किया जाना तथा तहसीलदार, सोजत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना कि पंजीबद्ध दस्तावेज संख्या 2013000508 दिनॉक 29.01.2013 की जॉच पुनःकरके नये सिरे से विधि सम्मत नामान्तरकरण पारित करें, उचित समझते है।

–: <u>आदेश</u> :–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिवक्ता मय अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। सरपंच ग्राम पंचायत–मेव द्वारा ना0सं0 386 दिनॉक 19.02.2013 को खारिज किये जाने के पारित आदेश दिनॉक 19.02.2013 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार सोजत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त पंजीबद्ध विक्रेय विलेख दस्तावेज संख्या 2013000508 दिनॉक 29.01.2013 की पुनः जॉच करके नये सिरे से विधि सम्मत नामान्तरकरण पारित करें। तहसीलदार, सोजत को उक्त निर्णय एवं पंजीबद्ध विक्रय विलेख दस्तावेज दिनॉक 29.01.2013 की प्रति पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
जिला पाली(राज.)

निर्णय आज दिनांक 12.03.2018 को सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
जिला पाली(राज.)